अरुण कुमार, प्रभारी, जिलाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 19.12.2016 को संपन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति: पंजी के अनुसार।

2. वेतन भुगतान :-

पूर्व की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि वेतन मद में आवंटन उपलब्ध है तथा अद्यतन वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी विभाग प्रत्येक माह में ससमय सभी कर्मियों का वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। यदि संदर्भित मद में आवंटन नहीं हो तो विभाग से पत्राचार कर आवंटन मंगाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन सभी कार्यालय प्रधान)

3. शिक्षा विभाग :-

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विभाग की समीक्षा नहीं हो सकी। बैठक में उनके किसी प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं होने पर जिला पदाधिकारी के द्वारा खेद व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टिकरण पूछने का निदेश दिया गया तथा इसकी प्रति प्रधान सचिव को भी देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा।)

4. पशुपालन विभाग :-

गत बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी को आदर्श ग्राम सिताबदियरा में पशुपालन भवन बनाने के लिए अंचल अधिकारी, रिविलगंज से सम्पर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

जिला पदाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी, रिविलगंज से सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से अवगत होलें तथा यदि जमीन चिन्हित हो चुकी हो तो अपर समाहर्त्ता से मिल का अग्रेतर कार्रवाई कराना सुनिचित करें।

जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि इसुआपुर प्रखंड में पशुपालन भवन बनाना है, परन्तु जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। जिला पदाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी, इसुआपुर एवं अपर समाहर्त्ता से मिल कर इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करें।

5. जिला शहरी विकास अभिकरण, सारण :-

कार्यपालक अभियन्ता, डुडा के संबंध में बताया गया कि वे निर्माणधीन एकता भवन के कार्य से पटना गये हुए हैं। जिला पदाधिकारी के द्वारा उनके किसी प्रतिनिधि की खोज की गई,

परन्तु उनके किसी प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं थें, इसपर खेद प्रकट करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन कार्यपालक अभियन्ता, डुडा, सारण)

6. लघु सिंचाई प्रमण्डल :-

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल छपरा के बिना किसी सूचना या अनुमति के अनुपस्थित रहने को जिला पदाधिकारी के द्वारा गंभिरता से लेते हुए इनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गय

(अनुपालन विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा।)

7. स्वास्थ्य विभाग :-

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि गत बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन किया जा रहा है, तथा लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जाँच की जा रही है तथा यह भी बताया गया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा उपलब्ध है।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि नियमित अंतराल पर रोस्टर बनाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का औचक निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें तथा निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए कमियों को दूर करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण)

8. कृषि विभाग :-

बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान के मद में प्राप्त 2,98,00,000.00 राशि के विरुद्ध अब तक कुल 2,48,00,000.00 की निकासी कर वितरण कर दिया गया है।

रवि फसल हेतु दिनांक 1.12.2016 से पुनः आवेदन पत्र प्राप्त किया जा रहा

बैठक में उपस्थित जिला उद्यान पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी के द्वारा इस जिले लगाये गये कुल पौली हाउसों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके प्रचार प्रसार हेतु अविलम्ब जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, एवं परियोजना नेदशक, आत्मा से सम्पर्क कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल/जिला कृषि पदाधिकरी)

9. भवन प्रमण्डल :-

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, छपरा के द्वारा बताया गया कि गत बैठक में दिये गये निदेश के अनुरुप मांझी में निर्मित चेक पोस्ट को ठिक कर दिया गया है। अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि संवेदक के द्वारा आवास का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, उसे अविलम्ब पूर्ण कराया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया गया कि अपर समाहर्त्ता के कार्यालय

कक्ष के साथ निर्मित Wash Room प्रयोग करने लायक नहीं रह गया है, उसे अविलम्ब ठीक कराया जाय।

10. पथ :-

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि गत बैठक में दिये गये निदेश के अनुरूप बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी पथों की मरम्मति कराई जा रही है।

जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि लोक नाट्य कलाकार, स्व0 भिखारी ठाकुर के गॉव जाने वाली पथ की स्थिति काफी खराब है, जिसका स्थल निरीक्षण कर विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाय।

(कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा।)

11. विद्युत :-

बैठक उपस्थित कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि इस बार राज्य मुख्यालय से प्रति प्रमण्डल 1000 Disconections का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक करीब 250 Disconections किया गया है। इस माह नोट बंदी के कारण राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है। जिला पदाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि हर हाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य का पूरा किया जाय।

(अनुपालन कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत)

12. सामाजिक सुरक्षा :-

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा बताया गया कि विकास मित्रों के माध्यम में पेंशनधारियों के डाटा का सत्यापन कराया जा रहा है। कई बार अवधिविस्तार करने के बावजूद अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। जिला पदाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से सभी को सूचित करे कि इस कार्य के लिए दिनांक 30.12.2016 की तिथि अन्तिम रूप से निर्धारित की जाती है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 968/विकास, छपरा दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।